

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश :: जबलपुर

—: आदेश :-

क्रमांक...622/स्था. सैट/2024

जबलपुर, दिनांक...16/10/2024

श्री भैरूनाथ रावल, जमादार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में वर्णित प्रावधानुसार निर्धारित प्रपत्र-28 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 02.09.2024 को एतद् द्वारा स्वीकार करते हुये उन्हें दिनांक 30.11.2024 (अपरान्ह) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार

sd-  
(धरमिन्दर सिंह)

रजिस्ट्रार जनरल

पृ० क्रमांक...622/स्था. सैट/2024

जबलपुर, दिनांक...16/10/2024

01. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके पत्र क्रमांक प्रशा./28पी (सैट)/2612 इंदौर दिनांक 09.09.2024 के संबध में।
  02. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ-ग्वालियर
  03. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (न्यायिक) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर।
  04. रजिस्ट्रार (प्रशासन/कम-पी.पी.एस.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर
  05. रजिस्ट्रार आई.टी. (सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर, की ओर आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
  06. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर।
  07. कोषालय अधिकारी जिला कोषालय इंदौर।
  08. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर
  09. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर।
  10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्थापना) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर।
  11. लेखाधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर।
  12. सहायक स्थापना/लेखा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर एवं खण्डपीठ इंदौर।
  13. श्री भैरूनाथ रावल, जमादार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)